

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 10 जनवरी, 2019

विषय :- अमरोहा में एन0एच0-24 (न्यू एन0एच0-09) किमी0 126 (चैनेज 125.732 एल0एच0एस0) की बांयी पट्टरी पर ग्राम-नारंगपुर के गाटा सं0-41 पर एस्सार ऑयल लि0 (वर्तमान में नयारा एनर्जी लि0 नोयडा) द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.245113 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/01/2019/एफसी/570 दिनांक 08.01.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर की गई आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचनायें एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

2- विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 08.01.2019 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र में उल्लिखित कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचनाएं एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,


(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefolkko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू०पी०/०६/०१/२०१९/एफ०सी०/५७०

दिनांक : 08.01.2019

सेवा में,
विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Others/30135/2017)

विषय: अमरोहा में एन०एच० २४ (न्यू एन०एच०-०९) किमी० १२६ (चैनेज १२५.७३२ एल०एच०एस०) की बांयी पट्टी पर ग्राम-नारंगपुर के गाटा सं०-४१ पर एस्सार ऑयल लि० (वर्तमान में नयारा एनर्जी लि० नोयडा) द्वारा विकसित किए जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु ०.२४५११३ हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ: विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश का पत्रांक-पी-१६१/१४-२-२०१८-८००(१६०)/२०१८, लखनऊ, दिनांक-२१.१२.२०१८.

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० की धारा (२) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दु पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

- 1- The area of proposed land to be diverted as per Gis DSS analysis is 0.2024 ha. which is less than area mentioned in the proposal.
- 2- The proposed CA land falls within protected area boundary of Hastinapur WLS and Plantation scheme must be approved by Wild life warden.
- 3- No measurement details is enclosed to explain area calculation of the proposed Forest area.

भवदीय,

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, मुरादाबाद।
3. जिलाधिकारी अमरोहा।
4. प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग अमरोहा।
5. डिवीजन मैनेजर मे० न्याया एनर्जी लि० २३१४-तृतीय तल टावर ए द कोरिसिंथम ए-४१ से० ६२ नोएडा।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश प्रत्रावली।

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक [केन्द्रीय]